

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

पत्र क्रमांक/1698/2019-20  
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक: 15/04/2020

1. आयुक्त  
संचालनालय, महिला एवं बाल  
विकास
2. समस्त संभागायुक्त,  
छत्तीसगढ़
3. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,  
जिला - समस्त (छ.ग.)
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
परियोजना- समस्त जिला-समस्त

विषय :- नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/10/2019-20 दिनांक 13.03.2020।
  2. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक 1614/2020 दिनांक 21.03.2020।
  3. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/1616/2019-20 दिनांक 26.03.2020।
  4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक 186/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 14.04.2020।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 75 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 450 ग्राम का अतिरिक्त पैकेट अर्थात् प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को प्रति सप्ताह 900 ग्राम के रेडी टू ईट फूड का पैकेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें।

  
(विजया खर्से)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. क्रमांक / 1629 / 2019-20  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक: 15/04/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग